प्रेषक,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

सेवा में,

सचिव (सिंचाई),
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

संख्याः– 6573 /प्र0अ0/सिं0वि0/का–2/एकीकरण, दिनांकः 23 दिसम्बर 2019

विषयः– दिनांक 21.12.19 को सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के एकीकरण के सम्बन्ध में आहूत बैठक के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया उत्तराखण्ड, शासन, सिंचाई अनुभाग–1, के कार्यालय आदेश संख्या 787/II–2018–06(188)/2018, दिनांक 15.05.19 द्वारा सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग के एकीकरण हेतु दोनो विभाग के अधिकारियों संयुक्त समिति का गठन किया गया है।

गठित समिति की दिनांक 21.12.19 को प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय कक्ष में एक बैठक आहुत की गयी, जिसमें दोनो विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। समिति की बैठक की आख्या मूलरूप में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

23/12/19

(मुकेश मोहन)
प्रमुख अभियन्ता

संख्या– 6573 /प्र0अ0/का–2/एकीकरण

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देरहादून।

D Gusain from to 23/12

23/12/19

(मुकेश मोहन)
प्रमुख अभियन्ता

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड एवं लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के एकीकरण के सम्बन्ध में आख्या

आज दिनांक 21–12–2019 को सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के एकीकरण के सम्बन्ध में एक बैठक आहूत की गई जिसमें निम्न अधिकारियों ने प्रतिभाग किया गया :–

सर्वश्री

1– मुकेश मोहन प्रमुख अभियन्ता (सिंचाई विभाग)
2– मुहम्मद उमर मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष (लघु सिंचाई विभाग)
3– पी0सी0गोयल मुख्य अभियन्ता, स्तर–।।, देहरादून (सिंचाई विभाग)
4– डी0एस0कछवाहा वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नियोजन) (सिंचाई विभाग)
5– संजीव कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2) (सिंचाई विभाग)
6– बी0के0तिवारी, अधीक्षण अभियन्ता (लघु सिंचाई विभाग)
7– ए0के0श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, मुख्यालय (लघु सिंचाई विभाग)

सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश संख्या :787 दिनांक 15 मई, 2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग के एकीकरण हेतु वित्त विभाग द्वारा संरचनात्मक ढांचों के युक्तिकरण के संबंध में वेतन समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुति के आधार पर अर्न्तविभागीय समन्वय एवं विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु समिति का गठन किया गया था।

वेतन समिति द्वारा राजस्व घाटे को कम करने के दृष्टिगत विभिन्न विभागों के संरचनात्मक ढांचे के युक्तिकरण के संबंध में अपनी विशिष्ट संस्तुतियां दी गई हैं जिसे सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय पत्रांक 73 दिनांक 09–04–2018 के द्वारा सभी विभागों को प्रेषित किया गया है। सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग के संदर्भ में वेतन समिति द्वारा दोनो विभागों को एकीकृत कर एक ही विभाग बनाये जाने तथा विभिन्न पदों का पुनर्गठन कर आवश्यकतानुसार रखे जाने की संस्तुति की गई है। शासन द्वारा गठित समिति की बैठक आज दिनांक 21–12–2019 को प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग,देहरादून के कार्यालय कक्ष में आहूत की गई। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हुई –

1– **लघु सिंचाई विभाग की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव :–**

अ) लघु सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता स्तर–।। को विभागाध्यक्ष के अधिकार प्राप्त हैं एकीकरण की स्थिति में विभागाध्यक्ष के अधिकार समाप्त होने की दशा में लघु सिंचाई विभाग हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर–।। के साथ–साथ मुख्य अभियन्ता स्तर–। का एक पद स्थाई रूप से सृजित किये जाने का प्रस्ताव है, जिस पर सचिव महोदया की बैठक में सहमति हो चुकी है। वेतन समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी

21/12/19

21/12

सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग के एकीकरण के पश्चात एकीकृत विभाग में मुख्य अभियन्ता स्तर–। के 02 पद रखे जाने की संस्तुति की गई है। इस प्रकार वेतन समिति की संस्तुति के अनुरूप भी है।

ब) लघु सिंचाई एवं सिंचाई विभाग के एकीकरण के पश्चात एकीकृत विभाग का नाम "जल शक्ति विभाग" हो जायेगा। एकीकृत "जल शक्ति विभाग" में लघु सिंचाई एवं सिंचाई विभाग में वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों के सभी पोषक (फीडिंग) संवर्गों की नियुक्ति की तिथि से संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार किये जाना प्रस्तावित किया गया जिससे समस्त कार्मिकों के लिए सेवालाभ के समान अवसर बने रहेंगें।

स) लघु सिंचाई एवं सिंचाई विभाग के एकीकरण के पश्चात दोनों विभागों के कार्मिकों की आवश्यकतानुसार पारस्परिक स्थानान्तरण किये जाना प्रस्तावित किया गया।

द) लघु सिंचाई विभाग में कार्यभार/बजट प्राविधान (रू0 140.26 करोड़) के अनुसार विभागीय ढाचा न्यून है तथा लगभग 75 प्रतिशत पद दुर्गम क्षेत्र में स्थित हैं। लघु सिंचाई एवं सिंचाई विभाग के एकीकरण कर "जल शक्ति विभाग" में पदों का पुनर्गठन करत समय सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक : 73/XXVII(7)/2018 दिनांक 09–04–2018 के द्वारा विभाग को प्रेषित वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुसार नवसृजित जल शक्ति विभाग के ढांचे का युक्तीकरण करते हुए एकीकृत विभाग को सही आकार दिया जाना प्रस्तावित किया गया।

2– सिंचाई विभाग की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव –

अ) सिंचाई विभाग में मिनिस्टीरियल स्टाफ के 03 कैडर यथा खण्डीय/मण्डलीय/मुख्य अभियन्ता हैं।

ब) सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के 02 कैडर सिविल एवं यांत्रिक हैं । इसी प्रकार कनिष्ठ अभियन्ता के 02 कैडर सिविल एवं यांत्रिक हैं।

स) इसके अतिरिक्त विभाग में 04 कैडर ड्राईंग संवर्ग/वैयक्तिक सहायक संवर्ग/चालक एव चतुर्थ श्रेणी के हैं।

सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग में इतने संवर्गों को मिलाने पर अत्यधिक कठिनाई एंव अन्य विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना है।

1– सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ के प्रान्तीय महामन्त्री के पत्रांक:256/सिं0वि0क0म0 दिनांक 11–12–2019 के द्वारा अनुरोध किया गया है कि दोनो विभागों के एकीकरण के फलस्वरूप कार्मिकों की वरिष्टता एवं सेवा शर्तें प्रभावित न किये जाने का अनुरोध किया गया है।

21/12

21/12/19

2- दोनो विभागो के एकीकरण किये जाने हेतु सिंचाई विभाग की ओर से यह प्रस्तावित किया जाता है कि लघु सिंचाई विभाग को सिंचाई विभाग में एक शाखा के रूप में एकीकृत कर दिया जाए एवं दोनो विभागों की पदोन्नति अपने-अपने संवर्गों में पूर्व की भांति स्वीकृत पदों पर की जाए।

3- लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत यांत्रिक अभियन्त्रिकी के अभियन्ताओं को सिंचाई विभाग की यांत्रिक शाखा में स्थानान्तरित व पदस्थापित तथा कृषि अभियन्त्रिकी के अभियन्ताओं को लघु सिंचाई कार्यों के कियान्वयन हेतु स्थानान्तरित/पदस्थापित किया किया जाना प्रस्तावित है एवं सिविल अभियन्त्रिकी के अभियन्ताओं को सिविल अभियान्त्रिकी शाखा में स्थानान्तरित एवं पदस्थापित की जायेगी।

4- एकीकरण के उपरान्त नवीन भर्तियां नवसृजित विभाग "जल शक्ति विभाग" में की जायेंगी एवं नवनियुक्त कार्मिकों की सेवा शर्तें नवसृजित जल शक्ति विभाग की नियमावली के अनुसार होंगी।

"मन्तव्य-लघु सिंचाई विभाग"

लघु सिंचाई विभाग के सदस्यों द्वारा लघु सिंचाई विभाग को सिंचाई विभाग की एक शाखा के रूप में रख जाने का विरोध किया गया तथा यह कहा गया कि वेतन समिति द्वारा सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग को एकीकृत कर एक विभाग बनाने की संस्तुति की गई है। अतः लघु सिंचाई विभाग का दृढ़ मत है कि वेतन समिति की संस्तुति के अनुसार दोनो विभागों को एकीकृत कर एक "जल शक्ति विभाग" का गठन किया जाये, मुख्य अभियन्ता स्तर-I का 01 अतिरिक्त पद सृजित किया जाये एवं समान संवर्ग के कार्मिकों को नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता देते हुए संयुक्त वरिष्ठता सूची बनायी जाये जिससे दोनो विभागों के कार्मिकों को समान अवसर प्राप्त हो सकें। संवर्ग की संयुक्त वरिष्ठता सूची में किसी विभाग के कनिष्ठ कार्मिक अन्य विभाग के अपने वरिष्ठ कार्मिक से पूर्व किसी पद पर पदोन्नत होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक को भी पद रिक्त होने की दशा में नोशनल पदोन्नति देते हुए सेवालाभ देने पर विचार किया जा सकता है।

लघु सिंचाई विभाग को सिंचाई विभाग की शाखा के रूप में रखे जाने की कार्यवाही वेतन समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों की मूल भावना व उद्देश्य के पूर्णतया विरूद्ध है तथा इससे वेतन समिति के उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त शाखा के रूप में रख जाने पर लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत कार्मिकों को सेवालाभ के समान अवसर प्राप्त नहीं होंगे जो कि प्रकृति के नैसर्गिक सिद्धान्त के भी विरूद्ध है।

"मन्तव्य - सिंचाई विभाग"

सिंचाई विभाग के कार्यों के अन्तर्गत सिंचाई नहरों का निर्माण/अनुरक्षण, बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का निर्माण/अनुरक्षण, जलाशयों का निर्माण/अनुरक्षण, बांध/बैराजों का निर्माण/अनुरक्षण, नलकूपों एवं लिफ्ट सिंचाई नहरों का निर्माण/अनुरक्षण, सोलर पावर प्लान्ट के स्थापन पुलों का निर्माण/अनुरक्षण तथा अन्य विविध अभियान्त्रिकी कार्यों का

2/12 21/12/19

कियान्वयन / अनुरक्षण किया जाता है। विभाग में विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों / कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी सहित) की संख्या लगभग 7000 पद हैं जिनके भिन्न-भिन्न संवर्गों की वरिष्ठता सूची के अनुसार भिन्न-भिन्न सेवा कर चुके अधिकारी / कर्मचारियों की पदोन्नति हो चुकी है एवं अधिकारी / कर्मचारियों की भर्ती क्रमशः लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विभिन्न चयन सूचियों से की गई है। अतः नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जानी सम्भव नहीं होगी। वर्तमान में विभागों के एकीकरण से संयुक्त वरिष्ठता सूची निर्गत करने से सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग के कार्मिकों को अपनी वास्तविक पदोन्नति के विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अतएव कार्मिकों के बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित रहे तथा किसी विभाग को कार्मिकों के हितों पर कुठाराघात न हो, के क्रम में लघु सिंचाई विभाग के कार्मिकों को विभाग के एक शाखा के रूप में एकीकरण कर दिया जाये। समायान्तर में वर्तमान के समस्त कार्मिक अपनी-अपनी पदोन्नति के अवसरों को प्राप्त करते हुए अधिवर्षता आयु के फलस्वरूप सेवानिवृत्त हो जायेंगें तथा प्रस्तावित "जल शक्ति विभाग" के अन्तर्गत भर्ती नवीन कार्मिक एकीकृत विभाग की नई सेवा नियमावली के अनुसार कार्य करेंगें, जिससे उनकी वरिष्ठता निर्धारण एवं पदोन्नति में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होगा।

निष्कर्ष

सिंचाई विभाग द्वारा लघु सिंचाई विभाग को एक शाखा के रूप में एकीकरण करने तथा उनकी पूर्व निर्धारित ज्येष्ठता सूची को यथावत रखने का प्रस्ताव किया गया है जबकि लघु सिंचाई विभाग शाखा के रूप में एकीकरण किये जाने पर सहमत नहीं है। लघु सिंचाई विभाग का कथन है कि दोनो विभागों का एकीकरण कर कार्मिकों की संयुक्त ज्येष्ठता सूची बनाई जाये।

अन्त में समस्त अधिकारियों को धन्यवाद करने के उपरान्त बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

21/12/19
(मुकेश मोहन)
प्रमुख अभियन्ता

21/12/19
(मुहम्मद उमर)
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

21/12/19
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

21-12-19
(डी0एस0कछवाहा)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नियोजन)

21/12/19
(ए0के0श्रीवास्तव)
सहायक अभियन्ता (मुख्यालय)

21-12-19
(बी0के0तिवारी)
अधीक्षण अभियन्ता